प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अयोध्या।

सेवा में,

प्रबन्धक,
विनायक पब्लिक स्कूल,
ग्राम व पोस्ट– खजुरहट, बीकापुर–अयोध्या।

पत्रांक : मान्यता/ उ०प्रा०स्तर/ 5815-23 /2021–22 दिनांक– 06.01.2022

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके ऑन लाइन आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ ऑन लाइन पत्राचार के कम में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्थलीय जॉच आख्या/संस्तुति एवं मान्यता समिति द्वारा सर्व सम्मति से लिए गये निर्णय के प्रति निर्देश से, **विनायक पब्लिक स्कूल, ग्राम व पोस्ट– खजुरहट, बीकापुर–अयोध्या (अंग्रेजी माध्यम)** को आदेश निर्गमन तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए औबन्धिक रूप से **कक्षा छः से कक्षा आठ** तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो को पूरा किये जाने के अधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 6 में बालको की संख्या के पचीस प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबब्धों अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटैशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–
   1. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   2. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।
   3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   5. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेष दिया जाना।
   6. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगें।
   7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।
   8. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन/किया कलापों में नियोजित नही करेंगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है–

- विद्यालय परिषर का क्षेत्रफल–
- कुल निर्मित– **4600 वर्गफिट**
- कीडास्थल– **उपलब्ध है।**
- कक्षाओं की संख्या– **06 (छः)**
- प्रधानाध्यापक–सहकार्यालय, सह–भंडागार के लिए कक्ष– **3 (तीन)**
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय है– **उपलब्ध है।**

- पेयजल सुविधा– **उपलब्ध है।**
- बाधारहित पहुंच– **उपलब्ध है।**
- अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता– **उपलब्धता है।**

9. विद्यालय परिषर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलायी जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिष्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।

13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्डेड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **AYO0947011320** है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी प्रत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन कर्ता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा मान्यता आदेश निर्गत करने के उपरान्त **विनायक पब्लिक स्कूल, ग्राम व पोस्ट– खजुरहट, बीकापुर–अयोध्या** की मान्यता हेतु आप द्वारा प्रस्तुत ऑन लाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलखों/प्रपत्रों/सूचनाओं तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या निरीक्षण आख्या में वर्णित सूचनाओं में यदि त्रुटिपूर्ण/मिथ्या/भ्रामक/तथ्य गोपन की स्थिति किसी भी स्तर पर पायी जाती है तो आपके विद्यालय को प्रदत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही होगा साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/अधिनियमों में वर्णित समस्त नियमों एवं शर्तों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION AYO0947011320

06/01/2022

(संतोष कुमार देव पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अयोध्या।

पृ0सं0: मान्यता/ उ0प्रा0स्तर/ ———— /2021-22 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
2. सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
3. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या, मण्डल अयोध्या।
4. जिला पंचायत राज्य अधिकारी, अयोध्या।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अयोध्या।
6. जिला अल्पसंख्यक/पिछडावर्ग कल्याण अधिकारी, अयोध्या।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, अयोध्या।
8. संबन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद अयोध्या।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अयोध्या।